




दर्शना महिला कल्याण समिति छतरपुर (म.प्र.)

संस्था मे संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की
निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु नियमावली



(राक्षशा गुप्ता)

कोषाध्यक्ष
दर्शना महिला कल्याण समिति
छतरपुर (म.प्र.)

दर्शना महिला कल्याण समिति छतरपुर (म.प्र.)

संस्थागत ढांचा

निगरानी एवं मूल्यांकन नियमावली




(राजेश कुमार गुप्ता)
कोषाध्यक्ष
दर्शना महिला कल्याण समिति
छतरपुर (म.प्र.)

कार्यक्रमों के निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु नियम


प्रत्येक कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है की कार्यक्रम की निगरानी एवं मूल्यांकन निरंतर होता रहे इसके लिए संस्था निम्न प्रयास करेगी जिसके लिए संस्था से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक व्यक्ति नियुक्त होगा जो उक्त कार्यक्रम के समन्वयक एवं एकाऊटेंट के साथ मिलकर निम्न तरह से कार्य करेगी ।

1. प्रत्येक कार्यक्रम का संख्यात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्य तैयार करेगी ।
2. उक्त लक्ष्य के अनुरूप सुक्ष्म कार्ययोजना तैयार की जायेगी ।
3. उक्त कार्ययोजना के अनुसार कार्य हो रहा है की नहीं यह मासिक बैठक में लीगई प्रगती से देखा जायेगा ।
4. क्षेत्र भ्रमण करके प्रगति का गुणात्मक पक्ष देखा जायेगा ।
5. प्रत्येक तीन माह, छै: माह, एक वर्ष में वित्त पोषित संस्था के साथ बैठक कर कार्यक्रम की समीक्षा की जायेगी ।
6. बैठक में देखे गये अंतर के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर लक्ष्यो की प्राप्ती की जायेगी ।
7. कार्यक्रम की वित्तीय समीक्षा के लिए भी प्रत्येक माह के दस्तावेजो का निरक्षण किया जायेगा ।
8. कार्यक्रम एवं वित्त की एक साथ बैठक कर कार्ययोजना तैयार की जायेगी ।
9. निर्धारित बजट के अनुसार कार्य हो रहा या नहीं यह वित्त एवं कार्यक्रम की रिपोर्टो को मिलान कर देखा जायेगा ।
10. यदि कार्य प्रगति कार्ययोजना अनुसार नहीं हो रही है तो कार्यक्रम की निगरानी समिति समस्त दस्तावेजो को देखकर यह तय करेगी की लक्ष्यो की प्राप्ती के लिए नये तरह से कार्ययोजना तैयार की जायेगी ।
11. यदि वित्त में निर्धारित बजट अनुसार गतिविधि समय पर नहीं कर रहा है तो निगरानी समिति यह सुनिश्चित करायेगी ।


(राजेश गुप्ता)

कोषाध्यक्ष
दर्शना महिला कल्याण समिति
छतरपुर (म.प्र.)

12. वित्त पोषित संस्था की निगरानी कार्ययोजना कार्यक्रम में लागू की जायेगी।
13. निगरानी समिति के सदस्य यदि कार्यक्रम में भ्रमण करते हैं तो वह लिखित में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
14. संस्था की ओर से निगरानी समिति में शामिल व्यक्ति अपना प्रतिवेदन कार्य कारणी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
15. कार्यक्रम में प्रगति के लिए जो भी निर्णय आवश्यक होंगे वह निगरानी समिति लेने के लिए स्वतंत्र होंगे।



(राजेश गुप्ता)

कोषाध्यक्ष
दर्शन महिला कल्याण समिति
छतरपुर (म.प्र.)